लेखा · योग

संस्थाओं का नियमन (मिज़ोरम से पञ्जाब तक) अङ्क ८१- जुलाई '०२ (जनवरी '०३ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

मिज़ोरम	१
नागालैण्ड	१
उड़ीसा	२
पॉण्डिचेरि ॥पुदुचेरी॥	३
पञ्जाब	३
सम्बन्धित लेखा · योग	४

इस अंक के लिए शोध करते समय प्रत्येक राज्य से नवीनतम संशोधित अधिनियम प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य सिद्ध हुआ है। अतः कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व कृपया इस अंक में दी गई जानकारी की पुनः पुष्टि कर लें।

मिज़ोरम

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० (Societies Registration Act, 1860) राज्य द्वारा कोई संशोधन नही।]

पञ्जीकरण– पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम - विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के पञ्जिकाधिकारी[१] के पास जमा करवानी होंगी (धारा-३)।

परिवर्तन– आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए कम से कम ३/५ (६०%) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है (धारा-१२)।

शासी-निकाय की सदस्य सूची– यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के १४ दिनों के अन्दर, संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक सभा नहीं होती तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)।

खाता-सम्बन्धी प्रावधान– इस अधिनियम में खातों से सम्बन्धित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

[१] हमें स्थान की जानकारी नहीं है।

विघटन– यदि संस्था की एक विशेष सभा में उपस्थित महानिकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६०%) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, या योगदान है, अथवा सरकार संस्था में दावेदार है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। परन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा– विघटन के समय संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[२] के बीच वितरित नहीं की जा सकती। सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद बची सम्पत्ति को संस्था के विघटन के समय उपस्थित सदस्य ३/५ (६०%) बहुमत द्वारा किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१४)।

अन्य प्रावधान– एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि[३] भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-१६)।

नागालैण्ड

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० (Societies Registration Act, 1860) राज्य द्वारा संशोधित]

पञ्जीकरण– पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम - विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी[४] के पास जमा करवानी होगी (धारा-३)।

परिवर्तन– आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों[५] का आयोजन करना होगा और उनमें

[२] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नही होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।
[३] पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित
[४] हमें स्थान की जानकारी नहीं है।
[५] एक माह के अन्तराल पर

उपस्थित ३/५ (६०%) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा (धारा-१२)।

संस्था अपनी महासभा में दो-तिहाई बहुमत से नाम-परिवर्तन का प्रस्ताव पारित कर सकती है (धारा-१२-ए)। इस परिवर्तन की अधिसूचना, संस्था के सचिव एवं अन्य ७ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करवा के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी होगी (धारा-१२-बी)।

शासी-निकाय की सदस्य सूची- यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के १४ दिनों के अन्दर, संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक सभा नहीं होती तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)। वर्ष भर में शासी-निकाय की सदस्यता में हुए परिवर्तन का विवरण भी पञ्जिकाधिकारी को देना होगा [धारा-४-ए (१)]।

खाता सम्बन्धी प्रावधान- इस अधिनियम में खातों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

विघटन- यदि महासभा में उपस्थित महानिकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६०%) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। इतने बहुमत से पारित कोई भी प्रस्ताव विवाद से परे होगा। [धारा-१३ का प्रथम परन्तुक (proviso)] यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, या योगदान है, अथवा सरकार संस्था में दावेदार है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। परन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[६] के बीच वितरित नहीं की जा सकती। सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद बची सम्पत्ति को संस्था के सदस्य ३/५ (६०%) बहुमत से किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं (चाहे वह इस अधिनियम के अन्तर्गत पञ्जीकृत हो या ना हो)(धारा-१४)।

अन्य प्रावधान- एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-१६)।

उड़ीसा

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० (Societies Registration Act, 1860) राज्य द्वारा संशोधित]

पञ्जीकरण- पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम - विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी[७] के पास जमा करवानी होंगी (धारा-३)।

परिवर्तन- आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, संस्था का नाम परिवर्तित कर सकते हैं, या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों[८] का आयोजन करना होगा और उनमें उपस्थित सदस्यों का ३/५ (६०%) बहुमत प्राप्त करना होगा (धारा-१२)। इस संदर्भ में प्रस्तावित परिवर्तन की एक प्रतिलिपि पञ्जिकाधिकारी को प्रेषित करनी होगी। अगर पञ्जिकाधिकारी बदलाव से सन्तुष्ट हैं तो वह परिवर्तित नाम से एक प्रमाणपत्र निर्गत करते हैं (धारा-१२ए)।

नियम - विनियम में परिवर्तन के २ माह के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास एक संशोधित एवं प्रमाणित[९] प्रतिलिपि भी प्रेषित करनी होगी [धारा-४-ए (२)]।

दो या अधिक संस्थाओं के विलय के लिए उन सभी सम्मिलित संस्थाओं को इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पर विचार करना होगा, सहमत होना होगा, तथा उसकी पुष्टि करनी होगी।

शासी-निकाय की सदस्य सूची- यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के १४ दिनों के अन्दर संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक सभा नहीं होती तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)। इस सूची को जमा करवाने का दायित्व संस्था के सभापति, अध्यक्ष अथवा सचिव[१०] का है (धारा-४-बी)

वर्ष भर में शासी-निकाय की सदस्यता में हुए परिवर्तन का विवरण भी पञ्जिकाधिकारी को देना होगा [धारा-४-ए (१)]।

खाता-सम्बन्धी प्रावधान- इस अधिनियम में खातों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

विघटन- यदि विशेष सभा में उपस्थित महानिकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६०%) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, या योगदान है अथवा, सरकार संस्था में दावेदार है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिर्वाय है। परन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[११] के बीच वितरित

[६] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नही होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकतीं है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।

[७] हमें स्थान की जानकारी नहीं है।

[८] एक माह के अन्तराल पर

[९] संशोधित प्रतिलिपि को कम से कम ३ व्यवस्थापकों, निदेशकों अथवा शासी-निकाय के सदस्यों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

[१०] या इस वास्ते कोई और प्राधिकृत व्यक्ति

[११] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नही होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त

नहीं की जा सकती। परन्तु, सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद बची सम्पत्ति को संस्था के ३/५ (६०%) सदस्य किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१४)।

अन्य प्रावधान- एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि[१२] भी प्राप्त की जा सकती (धारा-१६)।

पॉण्डिचेरि ॥पुदुचेरी ॥

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६०; पॉण्डिचेरि अधिनियम, क्रमांक ६, सन् १९६६ द्वारा संशोधित (Societies Registration Act, 1860 as amended by Pondicherry Act)]

पञ्जीकरण- पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम - विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) कम्पनियों के पञ्जिकाधिकारी[१३] के पास जमा करवानी होंगी (धारा-३)।

परिवर्तन- आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों[१४] का आयोजन करना होगा और उनमें उपस्थित सदस्यों में से ३/५ (६०%) को इस परिवर्तन का समर्थन करना होगा (धारा-१२)।

संस्था के सदस्य ६० प्रतिशत बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संस्था का नाम परिवर्तित कर सकते हैं (धारा-१२-ए)। इस सन्दर्भ में प्रस्तावित परिवर्तन की एक प्रतिलिपि पञ्जिकाधिकारी को प्रेषित करनी होगी। यदि पञ्जिकाधिकारी परिवर्तन से सन्तुष्ट हैं तो वह परिवर्तित नाम से एक प्रमाणपत्र निर्गत करेगें (धारा-१२-बी)।

नियम - विनियम में प्रत्येक परिवर्तन के १५ दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रेषित करनी होगी [धारा-४-ए (६)]।

शासी-निकाय की सदस्य सूची- यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के १४ दिनों के अन्दर संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए (धारा-४)।

संस्था को प्रत्येक वर्ष महानिकाय के सदस्यों की एक महासभा का आयोजन करना अनिवार्य है। इस सभा में संस्था को गत वर्ष के प्रबन्धन इत्यादि का एक प्रतिवेदन[१५] सदस्यों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना होगा [धारा-४-ए (३)]।

खाता-सम्बन्धी प्रावधान- अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा प्राप्ति एवं व्यय[१६] का विवरण, सदस्यों की सूची के साथ पञ्जिकाधिकारी को प्रेषित करना चाहिए [धारा-४-ए (१)]।

विघटन- यदि विशेष सभा में उपस्थित महानिकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६०%) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, या योगदान है, अथवा सरकार संस्था में दावेदार है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिर्वाय है। परन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[१७] के बीच वितरित नहीं की जा सकती। परन्तु, सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद बची सम्पत्ति को संस्था के सदस्य ३/५ (६०%) बहुमत से किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१४)।

अन्य प्रावधान- एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती हैं (धारा-१६)।

पञ्जाब

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६०। (Societies Registration Act, 1860 as amended by State Act) राज्य अधिनियम द्वारा संशोधित]

पञ्जीकरण- पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम - विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) पञ्जिकाधिकारी[१८] के पास जमा करवानी होंगी (धारा-३)।

यदि कोई संस्था संयुक्त स्कन्ध कम्पनी के पञ्जिकाधिकारी, लाहौर[१९] के पास पञ्जीकृत है तो राज्य सरकार उस संस्था को पञ्जीकरण शुल्क मे पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है।

परिवर्तन- आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, संस्था के नाम में परिवर्तन कर सकतें हैं, या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय के

स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।

[१२] पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित

[१३] हमें स्थान की जानकारी नहीं है।

[१४] एक माह के अन्तराल पर

[१५] अंकेक्षित तुलन-पत्र, प्राप्ति एवं व्यय का विवरण तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ

[१६] शासी-निकाय के कम से कम २ सदस्यों द्वारा प्रमाणित।

[१७] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नही होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।

[१८] राज्य सरकार के द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर के नियुक्त

[१९] १५ अगस्त, १९४७ के पूर्व अविभाजित भारतवर्ष में

सदस्यों की दो गोष्ठियों[20] का आयोजन करना होगा और उसमे उपस्थित ३/५ (६०%) सदस्यों को इस परिवर्तन का समर्थन करना होगा (धारा-१२)।

संस्था के नाम में प्रस्तावित परिवर्तन की एक प्रतिलिपि पञ्जिकाधिकारी को प्रेषित करनी होगी। यदि पञ्जिकाधिकारी परिवर्तन से सन्तुष्ट हैं तो वह परिवर्तित नाम के लिए एक प्रमाणपत्र निर्गत करेगें (धारा-१२-ए)।

शासी-निकाय की सदस्य सूची- यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महासभा के समापन के १४ दिनों के अन्दर संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक सभा नहीं होती हो तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)।

खाता-सम्बन्धी प्रावधान- इस अधिनियम में खातों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

विघटन- यदि विशेष सभा में उपस्थित महानिकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६०%) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है (धारा-१३)। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता या,योगदान है, अथवा सरकार संस्था में दावेदार है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिर्वाय है। परन्तु, सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था को अपने अधिकार में कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[21] के बीच वितरित नहीं की जा सकती। परन्तु, सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद बची सम्पत्ति को संस्था के सदस्य ३/५ (६०%) बहुमत से किसी दूसरी संस्था को देने करने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१४)।

अन्य प्रावधान- एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकते हैं (धारा-१६)।

सम्बन्धित लेखा·योग

०१: संस्था, न्यास या कम्पनी
६०: संस्थाओं का नियमन - आन्ध्र प्रदेश से दिल्ली तक
६२: पञ्जीकृत संस्था - १
७८: संस्थाओं का नियमन - गुजरात से जम्मू एवं कश्मीर तक
७६: संस्थाओं का नियमन - कर्नाटक से केरल तक
८०: संस्थाओं का नियमन - मध्य प्रदेश से मेघालय तक
८२: संस्थाओं का नियमन - राजस्थान से तमिलनाडु तक
८३: संस्थाओं का नियमन - त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल तक

[20] एक माह के अन्तराल पर

[21] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नही होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १६५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्भव हो शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १२०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त होगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका -२६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India मार्च २००३ ईस्वी फाल्गुन विक्रम संवत् २०५९